

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 24, 2019/माघ 4, 1940 No. 270] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2019/MAGHA 4, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2019

का.आ. 379(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 354 (पंजाब राज्य में गुरदासपुर के निकट रारा-54 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर डेराबाबा नानक, रामदास, अजनाला, अमृतसर (रारा-3), चाबल कलां, भिखीविंड, अमरकोट, खेमकरन (भारत-पाक सीमा), अरिफके, फिरोजपुर (रारा-5), सादिक, श्री मुक्तसर साहिब (रारा-754), रुपाणा को जोड़ते हुए और मलौट के निकट रारा-7 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है।

[फा. सं. एनएच-14013/8/2017-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2019

S.O. 379(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrust National Highway No. 354 (The highway starting from its junction with NH-54 near Gurdaspur connecting Derababa Nanak, Ramdas, Ajnala, Amritsar (NH-3), Chabal Kalan, Bhikhiwind, Amarkot, Khem Karan (Indo-Pak Border), Arifke, Firozpur (NH-5), Sadiq, Sri Muktsar Sahib (NH-754), Rupana and terminating at its junction with NH-7 near Malaut in the state of Punjab), to the National Highways Authority of India.

[F. No. NH-14013/8/2017-P&M] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.